BCCI BULLETIN

Vol. XXXXX | March 2019 | No. 03

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

चैम्बर द्वारा वर्ष 2014 से किए जा रहे निःशुल्क सामाजिक कल्याण के कार्यों की विस्तृत जानकारी से अवगत कराने हेतु समाज के सभी वर्गों के साथ एक पारस्परिक मिलन समारोह का आयोजन

फिजियोथेरेपी एवे फिटनेस सेंटर का फीता काटकर उद्घाटन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री सच्चिदानन्द।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज द्वारा सामाजिक कल्याण के कार्यों की विस्तृत जानकारी से समाज के सभी वर्गों को अवगत कराने हेतु दिनांक 2 मार्च 2019 को एक पारस्परिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया जिसमें पटना के उद्यमियों एवं व्यवसायियों के साथ-साथ समाज के सभी प्रबुद्ध नागरिक यथा - रोटेरियन, लायन्स, डाक्टर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, एडवोकेट, स्कूल एवं कॉलेज के प्राचार्य, बैंकर्स, सरकारी विभाग के पदाधिकारियों, न्यायाधीश, कम्पनी सेक्रेटरी, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के लोग सम्मिलित हुए।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने बताया कि आज के इस मिलन समारोह का मुख्य उद्देश्य पटना के सभी धर्म एवं प्रोफेशन के लोगों को चैम्बर

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं

चैम्बर द्वारा किये जा रहे सामाजिक कल्याण के कार्यों यथा– महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना, जहाँ सिलाई–कटाई, मेंहदी कला, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सहित ब्युटीशियन का प्रशिक्षण दिया जाता है एवं चैम्बर में फिजियोथेरेपी एवं फिटनेस सेन्टर की स्थापना जिसमें चैम्बर सदस्यों एवं उनके परिजनों को कैसे अपने आपको चुस्त–दुरूस्त रखा जाय की जानकारी उद्यमियों, व्यवसायियों सहित समाज के प्रबुद्धजनों यथा– रोटेरियन, लायन्स, डॉक्टर, सी0 ए0, कम्पनी सेक्रेटरी, स्कूल–कॉलेजों के प्राचार्य, बैंकर्स, सरकारी विभागों के अधिकारियों तथा प्रिंट एण्ड इलेक्ट्रोनिक मीडिया को देने हेतु चैम्बर में दिनांक 02 जनवरी, 2019 को एक पारस्परिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि समाज के सभी वर्गों ने चैम्बर द्वारा किये जा रहे सामाजिक कार्यों की काफी प्रशंसा की।

प्रत्येक वर्ष की भाँति चैम्बर द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2019 को चैम्बर प्रांगण में रंग–अबीर रहित फूलों की होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया जिसमें चैम्बर सदस्य अपने परिजनों सहित सम्मिलित हुए एवं गीत, नृत्य एवं सुस्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाया।

ट्रेड कमिश्नर सर्विस ऑफ कनाडा के प्रतिनिधिमंडल से चैम्बर में 8 मार्च, 2019 को एक भेंट वार्ता हुई जिसमें ट्रेड सम्बन्धित चर्चा हुई।

आगामी लोक सभा चुनाव के आलोक में चैम्बर प्रांगण में चैम्बर द्वारा प्रभात खबर एवं जिला प्रशासन के साथ दिनांक 25 मार्च, 2019 को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ तथा दिनांक 27 मार्च, 2019 को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ चैम्बर प्रागंण में एक बैठक हुई जिसमें सदस्यों की कई शंकाओं का समाधान किया गया और आवश्यक जानकारी भी दी गयी। वीवी पैट मशीन द्वारा यह दिखाया गया कि मतदाता ने जिस प्रत्याशी को वोट दिया, वह सही में उसके पक्ष में गया कि नहीं। साथ ही चैम्बर की ओर से हर मतदाता से अपील की गयी कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, यह आपका अधिकार है। सम्बन्धित समाचार इसी बुलेटीन में विस्तृत रूप से प्रकाशित है।

सादर,

आपका

पी. के. अग्रवाल

समारोह में उपस्थित बाँयें से सर्वश्री अमरेन्द्र कुमार, पशुपतिनाथ पाण्डेय, एस. एम. गुप्ता, सुबोध जैन, पी. के. सिंह, पी. के. अग्रवाल, चैम्बर अध्यक्ष, मनोज आनन्द एवं जी. पी. सिंह।

माननीय विधायक श्री अरूण कुमार सिन्हा को फीटनेस सेंटर की जानकारी देते उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन। साथ में श्री एस. एम. गुप्ता एवं सेंटर के डॉ. अशरफ आलम।

फुलबॉडी मसाज चेयर पर डॉ. एस. एस. झा। साथ में चैम्बर अध्यक्ष, श्री पी. के. अग्रवाल, श्री सुबोध कुमार जैन एवं अन्य।

प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुखातिब चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र के कम्प्युटर प्रशिक्षण कक्ष का अवलोकन करते माननीय विधायक श्री अरूण कुमार सिन्हा। साथ में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, श्री ए. के. पी. सिन्हा, श्री पवन भगत।

सिलाई प्रशिक्षण कक्ष का अवलोकन करते माननीय विधायक श्री अरूण कुमार सिन्हा। साथ में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं श्री सच्चिदानन्द।

समारोह में उपस्थित बीसीडीए के अध्यक्ष श्री पी. के. सिंह, श्री अमरेन्द्र कुमार, श्री सच्चिदानन्द, पीसीडीए के श्री संतोष कुमार एवं अन्य।

समारोह में उपस्थित पूर्व अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह, बीसीडीए के अध्यक्ष श्री पी. के. सिंह एवं अन्य।

द्वारा किये जा रहे नि:शुल्क सामाजिक कल्याण के कार्यों की विस्तृत जानकारी देना था जिससे कि वे अपने सगे-संबंधियों को इसकी जानकारी दें और वे इससे लाभान्वित हो सकें।

श्री अग्रवाल ने बताया कि चैम्बर की एक सोच थी, एक सपना था कि बेसहारा, आर्थिक दृष्टि से कमजोर, कम पढ़ी-लिखी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए एक मंच मिले। इस सपने को मूर्त रूप देने के लिए चैम्बर ने वर्ष 2014 से नि:शुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया है जिसमें महिलाओं को सिलाई एवं कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वावलम्बी बनाना है जिससे कि वे अपने हुनर के बल पर परिवार के जीविकोपार्जन में सहायक की भूमिका निभा सकें और उनका जीवन स्तर बेहतर बन सके।

उन्होंने आगे बताया कि शहर से गाँव तक ब्यूटिशियन की बढ़ती मांग को देखते हुए चैम्बर ने गत माह से ब्यूटिशियन कोर्स का भी प्रशिक्षण प्रारम्भ किया है जिससे कि महिलाओं को सहजता से रोजगार प्राप्त हो सके।

इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष श्री अग्रवाल ने फिजियोथेरेपी एवं फिटनेस सेन्टर का भी शुभारंभ किया जिसमें चैम्बर सदस्यों एवं उनके परिवार को कैसे अपने-आपको चुस्त-दुरूस्त रखें, इसके बारे में बताया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि आज के समय में बहुत से लोगों को ऐसी बीमारी हो जाती है जो कि दवाईयों से ठीक नहीं हो पाती हैं और यदि ठीक होती भी हैं तो इतना अधिक खर्चीला होता है जो सभी के लिए संभव नहीं परन्तु यदि नियमित रूप से फिजियोथेरेपी के माध्यम से अभ्यास किया जाए तो बहुत आसानी एवं कम खर्च में बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है।

उन्होंने बताया कि चैम्बर के फिजियोथेरेपी एवं फिटनेस सेन्टर में करीब -करीब सभी अत्याधुनिक मशीनें यथा - अल्ट्रासोनिक थेरेपी, सी.पी. बॉल, शौर्ट वेव डायथेरी, इन्फ्रारेड थेरेपी, मोएस्ट हीट थेरेपी, मल्टी पर्पस एक्सरसाइज चेयर, एडवांस स्टेटिक साइकल, पेलविक ट्विस्टर, फुलबॉडी मसाज चेयर, फुट मसाजर, कम्प्यूटराइज्ड ट्रैक्शन मशीन, पाराफीन वैक्स बाथ यूनिट आदि लगाए गए हैं जिससे लोग काफी लाभान्वित हो सकते हैं।

पारस्परिक मिलन समारोह में माननीय विधायक श्री अरूण कुमार सिन्हा, व्यवसायियों, उद्यमियों के साथ-साथ काफी संख्या में समाज के प्रबुद्ध लोग सम्मिलित हुए एवं चैम्बर द्वारा किए जा रहे नि:शुल्क सामाज कल्याण के कार्यों की प्रशंसा की।

बिहार फाउंडेशन द्वारा यूरोप के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल हुआ शामिल

कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारम्भ करते माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं अन्य।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

दिनांक 05 मार्च, 2019 को बिहार फाउंडेशन द्वारा होटल मौर्या में यूरोप के प्रतिनिधियों के साथ "Interactive & Welcome Meeting" आयोजित हुई ।

माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी0 के0 अग्रवाल एवं अन्य ने दीप प्रज्ज्वलित कर बैठक का शुभारम्भ किया। चैम्बर अध्यक्ष ने बैठक को सम्बोधित भी किया।

इस अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, कार्यकारिणी सदस्य श्री सुबोध कुमार जैन एवं श्री आलोक पोद्दार उपस्थित थे ।

ट्रेड कमिश्नर सर्विस ऑफ कनाडा का प्रतिनिधिमंडल चैम्बर पदाधिकारियों से मिला

सुश्री श्रेया रामचन्द्रन, ट्रेड कमिश्नर (इन्फ्रास्ट्रक्चर) को बूके देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल (बाँयें) एवं सुश्री पायल कालरा, ट्रेड कमिश्नर असिस्टेंट को बूके देकर स्वागत करते उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन (दाँयें)। साथ में कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, श्री मनोज आनंद एवं श्री सुबोध जैन।

सुश्री श्रेया रामचन्द्रन एवं सुश्री पायल कालरा को कॉफी टेबुल बुक भेंट करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल (बाँयें) एवं उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन (दाँयें)। साथ में कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं श्री मुकेश कुमार।

ट्रेड कमिश्नर सर्विस ऑफ कनाडा के प्रतिनिधिमंडल से विचार-विमर्श करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, श्री मनोज आनंद, श्री सुबोध जैन एवं अन्य।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 8 मार्च, 2019 को कनाडा सरकार के ट्रेड कमिश्नर सर्विस के एक प्रतिनिधिमंडल ने चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल एवं अन्य सम्मानित सदस्यों के साथ कनाडा और भारत सरकार के बीच ट्रेड के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया।

चैम्बर अध्यक्ष ने प्रतिनिधिमंडल में शामिल सुश्री श्रेया रामचन्द्रन, ट्रेड कमिश्नर (इन्फ्रास्ट्रक्चर) एवं सुश्री पायल कालरा, ट्रेड कमिश्नर असिसटेंट का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया एवं चैम्बर का कॉफी टेबुल बुक भी भेंट किया।

इस विचार-विमर्श में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, कार्यकारिणी सदस्य श्री मनोज आनन्द, श्री सुबोध कुमार जैन एवं चैम्बर सदस्य श्री मुकेश कुमार भी उपस्थित थे।

पाटलीपुत्र सर्राफा संघ की प्रधान आयुक्त, सी०आई०टी०-II के साथ बैठक में चैम्बर अध्यक्ष सम्मिलित

बैठक को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बाँयीं ओर प्रधान आयुक्त, सीआईटी-II श्री के. के. श्रीवास्तव एवं संयुक्त आयुक्त आयकर, श्री भानू प्रताप शर्मा। दाँयीं ओर सर्राफा संघ के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार, सचिव श्री शशि कुमार एवं अन्य।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 13 मार्च, 2019 को पाटलीपुत्र सर्राफा संघ की बैठक श्री के० के० श्रीवास्तव, प्रधान आयुक्त सी०आई०टी०-II के साथ आयोजित हुई। बैठक में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

इस अवसर पर संयुक्त आयुक्त आयकर श्री भानू प्रताप शर्मा भी उपस्थित थे। चैम्बर अध्यक्ष ने बैठक को सम्बोधित भी किया। उक्त बैठक में पाटलीपुत्र सर्राफा संघ के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार, सचिव श्री शशि कुमार एवं अन्य सर्राफा व्यवसायी उपस्थित थे।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते सर्राफा संघ के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार। साथ में श्री के. के. श्रीवास्तव, प्रधान आयुक्त, सी.आई.टी.-II

चैम्बर द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों ने एक-दूसरे पर गुलाब की पंखुड़ियाँ डालकर होली की शुभकामनाएं दी

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को राजस्थानी पगड़ी पहनाते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल को दुपट्टा देते श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय। साथ में श्री सुबोध कुमार जैन एवं अन्य।

होली मिलन समारोह में उपस्थित (बाँये से दाँयें) श्री आशीष शंकर, श्री अमित मुखर्जी, महामंडी, श्री आलोक कुमार पोद्दार, श्री सांवल राम डोलिया, श्री मुकेश कुमार जैन, उपाध्यक्ष, श्री पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष, डॉ. रमेश गाँधी, श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय, श्री सुबोध कुमार जैन, श्री पवन भगत, श्री राजेश कुमार माखरिया, श्री विशाल टेकरीवाल, कोषाध्यक्ष एवं श्री सत्यप्रकाश (पीछे)।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 19 मार्च 2019 को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया जिसमें एक दूसरे पर गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा कर होली की बधाई दी गई।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने कहा कि होली आपसी प्रेम एवं एकता का प्रतीक है। होली हमें आपसी मतभेदों को भुलाकर एक-दूसरे को गले लगाने की प्रेरणा प्रदान करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से होली के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष होली मिलन समारोह का आयोजन कर आपसी मेल-जोल को बढ़ावा दिया जाता है।

चैम्बर अध्यक्ष श्री अग्रवाल ने कहा कि चूँकि रंग एवं अबीर में कई प्रकार के रसायनों का प्रयोग होने लगा है, जो त्वचा को तो नुकसान करता ही है, साथ ही पर्यावरण को भी प्रदूषित करता है तथा इससे जल की भी काफी बर्बादी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए चैम्बर ने पर्यावरण अनुकूल गुलाल, रंग-अबीर रहित फूलों की होली का आयोजन किया है।

चैम्बर अध्यक्ष श्री अग्रवाल ने कहा कि होली मिलन समारोह में आगन्तुकों के लिए होली के पारंपरिक व्यंजनों के साथ-साथ उनके मनोरंजन हेतु पश्चिम बंगाल के सुविख्यात कलाकार संजय शर्मा एण्ड पार्टी, कोलकता ने होली एवं राधा-कृष्ण के पारंपरिक गीतों एवं नृत्यों से सभी श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया।

आगंतुकों के स्वागत हेतु खड़ी महिलाएँ, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय, श्री आलोक पोद्दार एवं अन्य।

पूर्व अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह को केशर-तिलक कर स्वागत करती महिला।

समारोह में उपस्थित चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, श्री बी. एल. गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह, श्री विनोद तोदी, श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला एवं अन्य।

माननीय विधायक श्री संजीव चौरसिया का स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं पूर्व अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह।

समारोह में सदस्यों एवं अतिथियों के स्वागत हेतु उपस्थित (बाँयें से) पशुपतिनाथ पाण्डेय, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं पूर्व उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल।

श्री ए. एम. अंसारी को राजस्थानी पगड़ी पहनाते श्री सुबोध कुमार जैन। साथ में श्री आशीष शंकर एवं श्री आलोक पोद्दार।

समारोह में उपस्थित (बाँयें से) उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, श्री प्रदीप चौरसिया एवं श्री सच्चिदानन्द।

भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के श्री आलोक चन्द्र जैन एवं श्री अंजनी कुमार जालान पर गुलाब की पंखुड़ियाँ डालकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में श्री सुरेश प्रकाश गुप्ता एवं अन्य।

लोक गीत की प्रस्तुति देती गायिका।

कलाकारों द्वारा नृत्य की प्रस्तुति।

गीतों की प्रस्तुति देता गायक।

कलाकारों द्वारा नृत्य की प्रस्तुति।

लोक गायिका के साथ चैम्बर के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष एवं सदस्यगण।

समारोह में उपस्थित चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण।

लोक गायिका के गीत पर नृत्य करते सदस्यगण।

सुस्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाते अतिथिगण एवं सदस्यगण।

लोक गायिका के गीत पर नृत्य करते सदस्यगण।

लोक गायिका के गीत संग नृत्य करती महिलायें।

कलाकारों द्वारा राधा-कृष्ण नृत्य की प्रस्तुति।

कलाकारों द्वारा राधा-कृष्ण नृत्य की प्रस्तुति।

चैम्बर अध्यक्ष ने अतिथियों एवं सदस्यों पर गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा कर होली की बधाई देते हुए कहा कि होली का त्योहार आपसी भाईचारे व सद्भावना के साथ मनायें।

समारोह में काफी संख्या में राज्य के उद्यमी एवं व्यवसायी परिवार के साथ-साथ विभिन्न दलों के राजनीतिज्ञ, भारत सरकार एवं बिहार सरकार के पदाधिकारीगण एवं सभी धर्म तथा प्रोफेशन के लोग सम्मिलित हुए।

समारोह में चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, पूर्व अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, होली मिलन समारोह आयोजन समिति के संयोजक श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल, सह-संयोजक श्री आशीष शंकर, श्री अजय कुमार, श्री सावल राम डोलिया, श्री सुबोध कुमार जैन, श्री पवन भगत, श्री सुनिल सराफ, श्री राजेश कुमार खेतान, श्री शशि गोयल, डॉ० रमेश गाँधी, श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, श्री मनोज आनन्द, श्री उत्पल कुमार सेन, श्री आलोक कुमार पोद्दार, श्री राजेश कुमार अग्रवाल, श्री प्रदीप चौरसिया, श्री रामचन्द्र प्रसाद, श्री रामाशंकर प्रसाद, श्री सच्चिदानन्द सहित बड़ी संख्या में उद्यमी -व्यापारी सपरिवार समारोह में सम्मिलित हुए ।

जागरूकता **वोट करें, देश गढ़ें अभियान के दूसरे चरण में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुँचा प्रभात खबर**

वीवीपैट में पर्ची डिस्प्ले न हो तो करें शिकायत

प्रभात खबर के 'वोट करें, देश गढ़ें' अभियान के तहत को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में व्यवसायियों के बीच मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में पटना के डीडीसी डॉ आदित्य प्रकाश ने व्यवसायियों को मतदान का महत्व बताते हुए चुनाव से जुड़े उनके प्रश्नों के जवाब दिये।

डॉ प्रकाश ने कहा कि इवीएम से डाले गये वोट की पारदर्शिता को लेकर चुनाव आयोग ने इस बार सभी बूथों पर इवीएम के साथ वीवीपैट मशीन के इस्तेमाल का निर्णय लिया है। इवीएम में वोट डालने पर इस वीवीपैट में सात सेकेंड तक तक पर्ची दिखेगी, जिस पर डाले गये वोट के अनुसार कैंडिडेट के चुनाव चिह्न व नाम दिखेंगे। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर किसी कारण से वीवीपैट में पर्ची डिस्प्ले न हो या गलत डिस्प्ले हो तो पीठासीन पदाधिकारी के पास इसको लेकर चुनौती दी जा सकती है। यदि दावा सही पाया गया तो चुनाव प्रक्रिया तत्काल रोक दी जायेगी, जबकि दावा गलत होने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है।

खुद करें वोट, दूसरों को भी करें प्रेरित : डीडीसी ने बताया कि ग्रामीण इलाकों के मुकाबले शहरों में वोटिंग कम होती है। दशकों से बने इस मिथक को तोड़ने की जरूरत है। इसलिए सभी मतदाता वोटिंग के दिन घर से निकलें और वोट जरूर दें। आप खुद जाएँ ही, दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। लोकतंत्र के इस महापर्व में एक भी मतदाता मतदान से छूटना नहीं चाहिए।

निर्णय करें खुद की सरकार : डीडीसी ने कहा कि आबादी के हिसाब से दुनिया के बड़े लोकतंत्र में मतदाता को खुद की सरकार चुनने का मौका मिलता है। इसके माध्यम से सरकार की लोकप्रियता व क्रियाशीलता को भी परखा जाता है। इसलिए बगैर किसी से प्रेरित हुए निर्णय कर, स्वस्थ एवं सक्षम सरकार चुनें।

कार्यक्रम में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि मतदाता जागरूकता को लेकर प्रभात खबर का यह प्रयास सराहनीय है। आयोजन के माध्यम से कई नयी जानकारियाँ मिली। व्यवसायी बंधु इससे लाभान्वित होकर दूसरे मतदाताओं को भी जागरूक करने के लिए प्रेरित होंगे। कार्यक्रम में लोकगायिका नीतू नवगीत ने अपनी लोक गीतों से खूब शमा बांधा।

मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में डीडीसी डॉ. आदित्य प्रकाश को बुके भेंटकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में नोडल पदाधिकारी श्रीमती भारती प्रियंबदा एवं लोक गायिका श्रीमती नीतू नवगीत। दाँयीं ओर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

नोडल पदाधिकारी श्रीमती भारती प्रियंबदा को बुके देकर स्वागत करते उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर। साथ में डीडीसी डॉ. आदित्य प्रकाश एवं चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

लोक गायिका श्रीमती नीतू नवगीत को बुके देकर स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

वीवीपैट मशीन का लाइव डिमोंस्ट्रेशन देखते सदस्यगण।

इस मौके पर पटना जिले के स्वीप कोषांग की नोडल पदाधिकारी भारती प्रियंबदा, चैम्बर के उपाध्यक्ष एन. के. ठाकुर एवं मुकेश कुमार जैन, महामंत्री अमित मुखर्जी, शशि मोहन, डॉ रमेश गाँधी, राजेश माखरिया, पशुपति नाथ पांडेय, अजय ठाकुर, पाटलिपुत्र सर्राफा संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार, बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के महासचिव अमरेन्द्र कुमार, पटना थोक वस्त्र व्यवसायी संघ के महासचिव पुरुषोत्तम कुमार चौधरी, भारतीय स्टेट बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव अजीत कुमार मिश्रा, भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी एसोसिएशन के सचिव विजय राय, बिहार प्रोविंसियल बैंक इंप्लाइज एसोसिएशन के उपसचिव संजय तिवारी आदि मौजूद थे।

लोग जानना चाहते हैं प्रक्रिया : बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि आज से पहले जागरूकता को लेकर इस तरह का आयोजन नहीं हुआ था। अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। इसके अलावा कई दूसरी जानकारियों के बारे में भी बातें कर सकते हैं। अगर कैंप लगाना चाहे तो बिहार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इस कार्य में भी सहयोग करेगा।

यदि वोटर कार्ड नहीं है तो आप किसी भी दूसरे सरकारी फोटो युक्त प्रमाण पत्र को दिखा कर वोट दे सकते हैं

सवाल : मतदाता सूची में अब भी नाम जोड़ सकते हैं?

जवाब : इसके लिए तीन बार ड्राइव चलाया जा चुका है। निर्वाचन के दस दिन पूर्व तक नजदीकी बूथ पर फॉर्म छह में आवेदन जमा करा सकेंगे। बीएलओ को फोन कर उनसे जानकारी ले सकते हैं।

सवाल : वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन ईपिक कार्ड नहीं मिला है?

जवाब : बीएलओ से पता करें, सभी के ईपिक कार्ड निर्गत कर दिये गये हैं। अगर किसी मतदाता का वोटर लिस्ट में नाम है, पर वोटर आइडी नहीं, तो वह किसी भी दूसरे सरकारी फोटो युक्त प्रमाण पत्र को दिखा कर वोट दे सकेंगे।

सवाल : बीएलओ का नंबर कहाँ से मिलेगा?

जवाब : इसके लिए हेल्पलाइन नंबर चालू किया गया है। 1950 पर कॉल कर के अपना नाम, पता बताने पर हर तरह की जानकारी को हासिल कर सकते हैं। यह 24 घंटे कार्यरत है और इसके लिए तीन पालियों में ऑफिसर्स बैठते हैं।

सवाल : अगर नाम व फोटो में गड़बड़ी हो तो कैसे सुधार सकते हैं?

जवाब : सुधार के लिए फॉर्म आठ में बीएलओ या निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के पास आवेदन दे सकते हैं।

सवाल : बूथ हमारे घर से बहुत दूर है, क्या करें?

जवाब : नजदीकी बूथ पर नाम जोड़ने के लिए फॉर्म छह भर कर आवेदन कर सकते हैं। बूथ तक पहुँचने के लिए किसी को अधिक चलना नहीं पड़े, इसका ख्याल रखा गया है।

सवाल : वोटर लिस्ट में नाम नहीं है पर वोटर आइड़ी है।

जवाब : हो सकता है नाम डिलिट हो गया हो, फॉर्म छह भर कर दे दीजिएगा नाम जुड़ जायेगा।

सवाल : एक ही फ्लैट में रहने वाले लोगों को अलग-अलग बूथ हैं?

जवाब : फॉर्मली डिटेल्स हमें दे दीजिए, हमलोग इस पर विचार करेंगे।

सवाल : इंटरनेट पर वोटर लिस्ट उपलब्ध है?

जवाब : जी हाँ, इंटरनेट पर देख सकते हैं। eci.net पर जाकर अपने नाम को जाँच सकते हैं। वहाँ जाने पर चेक योर कंस्टीट्यूएंसी पर जाना होगा। वहाँ अन्य डिटेल्स देने पर नाम, असेंबली व अन्य जानकारियाँ सामने आ जायेंगी। इसके अलावा https://www.nvsp.in या https://electoral search.in पोर्टल पर सर्च योर नेम या ईपिक नंबर डाल कर बूथ नंबर या सीरियल नंबर का पता लगाया जा सकता है।

सवाल : सर्विस करने वाले वोटर्स के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा है?

जवाब : वोट देने के लिए सरकारी सेवकों को सवैतनिक अवकाश मिलेगा। प्राइवेट के लिए भी यह अनिवार्य है। **(साभार : एक्टिविटी, 26.3.2019)**

'सभी उद्यमी व व्यवसायी करें मतदान'

लोस चुनाव को लेकर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की अपील • चुनाव के दौरान 50 हजार नकद मूवमेंट पर रोकटोक नहीं : कमल

कार्यक्रम को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बाँयीं ओर क्रमशः अपर निर्वाचन पदाधिकारी श्री बाला मुरूगन, नोडल अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक डॉ. कमल किशोर, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, पूर्व महामंत्री श्री शशि मोहन, पूर्व कोषाध्यक्ष डॉ. रमेश गाँधी।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री बाला मुरूगन को बूके देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बाँयीं ओर नोडल अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक डॉ. कमल किशोर तथा दाँयीं ओर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर।

नोडल अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक डॉ. कमल किशोर को बूके देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 27.3.2019 को अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बाला मुरूगन एवं चुनाव के नोडल पदाधिकारी पुलिस महानिरीक्षक डॉ. कमल किशोर के साथ चैम्बर प्रांगण में बैठक हुई जिसमें लोकसभा आम निर्वाचन के दौरान व्यवसायियों द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि जब भी चुनाव आता है उस समय राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों को मुख्य रूप से दो बातों की चिंता होती है। पहली चिंता नकद के ट्रांजक्शन एवं दूसरी चिंता वाहनों की जब्ती के उपरांत आवश्यक वस्तु की कमी के कारण बढ़ने वाली कीमत की होती है।

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य के सभी उद्यमियों एवं व्यवसायियों से मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नकद हस्तांतरण के लिए चुनाव आयोग की एक गाइडलाइन है उसी को फॉलो किया जाता है। साथ ही उनका प्रयास होता है कि राज्य के आम लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। राज्य के चुनाव के नोडल पदाधिकारी पुलिस महानिरीक्षक कमल किशोर ने बताया कि 50 हजार तक के नकद मूवमेंट पर आम लोगों को कोई असुविधा नहीं होगी। पचास हजार से 10 लाख के बीच यदि आम लोग भी नकद लेकर आना-जाना करेंगे तो उन्हें स्वयं का प्रूफ, फर्म का प्रूफ एवं नकद कहाँ से लाये हैं उसका प्रूफ रखना अनिवार्य होगा। यदि किसी कारण वश उस समय उनके पास प्रूफ नहीं होगा तो उसके लिए उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी के समक्ष नकद का प्रूफ दे दें तो जब्त किया गया नकद उन्हें वापस कर दिया जाएगा।

यदि किसी व्यक्ति के पास 10 लाख से ऊपर का नकद मिलता है तो प्रशासन की ओर से आयकर विभाग को सूचना देना आवश्यक है। बैठक में चैम्बर के उपाध्यक्ष एन. के. ठाकुर एवं मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष विशाल टेकरीवाल, महामंत्री अमित मुखर्जी, पूर्व अध्यक्ष ओ. पी साह, सुभाष कुमार पटवारी, बिरेन्द्र जालान, मनोज आनंद, शशि मोहन, गणेश कुमार खेतड़ीवाल, निर्मल कुमार झुनझुनवाला, आशीष शंकर, सावल राम डूंलिया, सुबोध कुमार जैन, सुनील सराफ, राजेश कुमार खेतान, बिनोद कुमार, शशि गोयल, डॉ. रमेश गाँधी, पशुपति नाथ पांडेय, राजेश कुमार माखड़िया, प्रदीप चौरसिया, रामचन्द्र प्रसाद, सच्चिदानंद के साथ बड़ी संख्या में उद्यमी एवं व्यवसायी मौजूद थे।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 28.3.2019)

पुराने टैक्स विवाद का समाधान टैक्स सेटलमेंट कमीशन से

जीएसटी लागू होने के बाद भी पुरानी टैक्स प्रणाली कस्टम, केन्द्रीय उत्पाद और सर्विस टैक्स से जुड़े मामले बड़ी संख्या में लंबित पड़े हुए हैं। तीन लाख से ज्यादा के ऐसे मामलों का निपटारा कोर्च-कचहरी के बाहर कम समय में करने के लिए टैक्स सेटलमेंट कमीशन बनाया गया है। जिसकी चार शाखाएँ नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुम्बई में हैं। पटना स्थित केन्द्रीय जीएसटी मुख्यालय के सभागार में इस कमीशन के बारे में जानकारी देने से संबंधित सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारियों के अलावा व्यापारी और सीए मौजूद थे। कार्यक्रम को कमीशन के अध्यक्ष पीयूष पटनायक ने संबोधित किया और लोगों के सवालों का जवाब भी दिया।

(साभार : प्रभात खबर, 27.3.2019)

कैश लाने-ले जाने को ले चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लिखा पत्र

मुख्य चुनाव आयुक्त से मांगे निर्देश

पूर्व में चुनाव के दौरान नकदी लेकर जा रहे व्यवसायियों को हुई असुविधा से लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद राज्य के उद्यमी एवं व्यवसायी सशंकित हैं । इस संबंध में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मुख्य सचिव, क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (बिहार), आरक्षी महानिदेशक सहित वरीय पदाधिकारियों को पत्र लिख कर चुनाव के दौरान कैश ट्रांजिट (आवागमन) के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश की मांग एवं उसके बारे में पत्र जारी करने का अनुरोध किया है।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने बताया कि चुनाव की तारीख का एलान होने के बाद सूबे भर के कारोबारी यह जानना चाह रहे हैं कि नकद राशि के आवागमन के संबंध में चुनाव आयोग के क्या स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं। उसके बारे में तकनीकी जानकारी मुहैया कराने का अनुरोध कर रहे हैं, ताकि वह उसके अनुरूप नकद राशि का आवागमन करते हुए सहजता से व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित कर सकें। इससे न केवल व्यवसायियों बल्कि आम लोगों को भी राहत मिलेगी। साथ ही अग्रवाल ने यह भी उल्लेख करने को कहा कि वैसे कैश के आवागमन जिसका कोई भी संबंध चुनाव से नहीं है, उसके लिए क्या-क्या कागजात रखना चाहिए। (साभार : प्रभात खबर, 16.3.2019)

क्या है वेंचर कैपिटल ?

अक्सर निवेशक छोटे उद्यमों व स्टार्ट-अप कंपनियों में निवेश करते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि ये लघु उद्यम आगे चलकर सफल होंगे और बड़े व्यवसाय का रूप लेंगे। उनकी वृद्धि तेजी से होगी। इसलिए लंबी अवधि में उन्हें रिटर्न भी अधिक मिलेगा। उद्यमों को शुरुआती दौर में इस तरह का जो निवेश मिलता है उसे 'वेंचर कैपिटल' कहते हैं। ऐसा निवेश आम तौर पर धनाढ्य व्यक्ति, इन्वेस्टमेंट बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान करते हैं जिन्हें 'वेंचर कैपिटलिस्ट' कहते हैं।

वास्तव में वेंचर कैपिटल, फाइनेंसिंग के परंपरागत स्रोतों से अलग है। असल में वेंचर कैपिटलिस्ट नये विचारों और इनोवेशन पर आधारित बिजनेस मॉडल में पूँजी लगाते हैं। वे पूँजी लगाने के साथ-साथ इन उद्यमों को प्रबंधन और कौशल विकास में भी मदद मुहैया कराते हैं। ऐसे बिजनेस प्लान में उच्च वृद्धि की उम्मीद होती है। हालांकि इस तरह के निवेश में बड़ा जोखिम रहता है। इसकी मुख्य वजह यह है कि शुरू हुआ कारोबार अपेक्षित उम्मीद के साथ आगे बढ़ेगा और सफल होगा, इसे लेकर हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है।

छोटे उद्यमों के लिए वेंचर कैपिटल जुटाना तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। उनके लिए यह पूँजी जुटाने का आसान तरीका है। हमारे देश में स्टार्ट-अप इसका ताजा उदाहरण हैं। हाल के वर्षों में वेंचर कैपिटलिस्ट ने स्टार्ट-अप में निवेश किया है।

आइटी, बॉयो-टेक्नॉलॉजी, सॉफ्टवेयर उत्पाद, बैंकिंग, मीडिया और मनोरंजन, फार्माप्युटिकल्स, टेलीकम्यूनिकेशंस, बीपीओ जैसी आउटसोर्सिंग सेवाओं के क्षेत्र में कंपनियों को खड़ा करने में उन्होंने अहम भूमिका है। यहाँ वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी में भी अंतर समझना जरूरी है। वैसे तो वेंचर कैपिटल प्राइवेट इक्विटी की ही एक रूप है, लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क है। वेंचर कैपिटलिस्ट उन छोटी-छोटी कंपनियों में निवेश करने पर जोर देते हैं जो तेजी से उभर रही हैं और पहली बार पूँजी जुटा रही है।

दूसरी ओर प्राइवेट इक्विटी का फोकस वैसी कंपनियों पर होता है जो पहले से स्थापित हैं और पूँजी आधार बढ़ाने के विभिन्न विकल्पों के तहत निवेश आकर्षित करती हैं। कंपनी या ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत होकर लोन व दान के रूप में या सिक्युरिटी जारी कर फंड जुटाने और नए बिजनेस में निवेश करने वालों को वेंचर कैपिटल फंड कहा जाता है। भारत में वेंचर कैपिटल फंड को बढ़ावा देने की दिशा में पहला कदम 1988 में उठाया गया था।

(साभार : दैनिक जागरण, 25.3.2019)

क्या है 'ट्रांसफर प्राइसिंग'?

'ट्रांसफर प्राइसिंग' शब्दावली का प्रचलन अंतरराष्ट्रीय व्यापार खासकर अकाउंटिंग और टैक्सेशन की दुनिया में होता है। वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण की शुरूआत के बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार तेजी से बढ़ा है। साथ ही बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भी उभर कर आई हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ व्यापार करने के साथ-साथ अपने समूह की विभिन्न यूनिटों के बीच भी परस्पर लेन-देन करती हैं।

मसलन, एक एमएनसी की यूनिट विदेश में स्थित दूसरी यूनिट को कच्चा माल व तैयार वस्तुओं की आपूर्ति करती है या इंटलैक्चुअल राइट्स बेचती है। इस लेन-देन के ऐवज में वह यूनिट विदेशी यूनिट से जो राशि चार्ज करेगी

उसे ही 'ट्रांसफर प्राइस' कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक जगत में इस प्रणाली को ट्रांसफर प्राइसिंग कहा जाता है।

उदाहरण के लिए भारत की एक सॉफ्टवेयर कंपनी पूरी दुनिया में अपने ग्राहकों को एक विशेष प्रकार की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा मुहैया कराती है। कंपनी के पास इस सेवा का पेटेंट है। इस सॉफ्टवेयर कंपनी का एक ऑफिस केयमन आइलैंड में है, जहाँ इनकम टैक्स की दर बेहद कम है। मान लीजिए मैक्सिको का एक ग्राहक केयमन आइलैंड में भारतीय कंपनी के सर्वर से क्लाउड कंप्यूटिंग की सेवा प्राप्त करता है।

ऐसे में सवाल यह उठता है कि उस सेवा के लिए कंपनी जो भी चार्ज करेगी वह राशि आय के रूप में मैक्सिको (जहाँ ग्राहक है) में मानी जाए, केयमन आइलैंड (जहाँ सर्वर है) में मानी जाए या फिर भारत (जहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्यालय है) में मानी जाए। ऐसी स्थिति में कंपनियों की कोशिश होती है कि वे ट्रांसफर प्राइस को कम रखकर अपनी आय उस देश में अधिक दिखाएँ जहाँ टैक्स की दर कम है।

नियमानुसार ट्रांसफर प्राइस 'आर्म्स-लेंथ प्रिंसिपल' के आधार पर तय होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब कोई कंपनी अपनी किसी यूनिट को कोई सामान या सेवा की आपूर्ति करने के लिए जो धनराशि चार्ज करती है, यह राशि उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि वह समान परिस्थिति में दूसरी कंपनी से चार्ज करती। टैक्स अधिकारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा तय किए गए ट्रांसफर प्राइस पर सवाल उठाते हैं। उन्हें लगता है कि उक्त कंपनी ट्रांसफर प्राइस कम दिखाकर टैक्स का भुगतान करने से बच रही है।

अलग-अलग देशों में ट्रांसफर प्राइसिंग के संबंध में कानून बने हुए हैं। ब्रिटेन में इस तरह का कानून पहली बार 1915 और अमेरिका में 1917 में बना। 1960 के दशक की शुरुआत में स्थापित ऑर्गनाइजेशन फॉर इकनॉमिक कॉपरेशन एंड डवलपमेंट यात्री ओईसीडी ने भी 1979 में इस मुद्दे पर विचार किया। वहीं भारत ने 2001में आयकर कानून कानून में संशोधन के जरिए ट्रांसफर प्राइसिंग के संबंध में पहली बार नियम बनाने का प्रयास किया।

(साभार : दैनिक जागरण, 18.3.2019)

उद्योगों की मदद के लिए आगे आई सरकार, बनेगी साझीदार

औद्योगिक निवेश वित्त संपोषण मार्गदर्शन सिद्धांत 2019 तैयार, लोन के बदले बनेगी स्टेकहोल्डर, शुरुआत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से

राज्य में नए उद्योग लगे और पुराने उद्योगों को पर्याप्त पूंजी मिले, इसके लिए राज्य सरकार कई स्तरों पर प्रयास कर रही है। सरकार ने न केवल उद्यमियों को सस्ती दर पर लोन देने की योजना बनाई है, बल्कि राज्य के रुग्ण उद्योग को चलाने के लिए कम दर पर लोन और वर्किंग कैपिटल भी देगी। इसके लिए सरकार ने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत औद्योगिक निवेश वित्त संपोषण मार्गदर्शन सिद्धांत 2019 तैयार किया है। सरकार किस कदर उद्योग को लेकर सकारात्मक सोच को लेकर आगे बढ़ रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकार जिस उद्योग को वित्तीय मदद करेगी उनमें साझीदार भी हो सकती है। हालाँकि, सरकार केवल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ साझीदारी वाले फॉर्मूले पर अमल करेगी। उद्यमियों को लोन देने के लिए तीन डीफंक्ट निगम को चालू करने का भी निर्णय लिया है।

(विस्तृत : दैनिक भास्कार, 16.3.2019)

जीएसटी घटने पर कंपनियाँ या तो पैकेट का वजन बढ़ाएगी या फिर दाम घटाएगी

मुनाफाखोरी रोकने के लिए बनी अथॉरिटी का फैसला

जीएसटी कानून के तहत मुनाफाखोरी रोकने के लिए बनाई गई अथॉरिटी एनएए टैक्स रेट घटने पर पैकेट का वजन बढ़ाने पर सहमत है। एनएए के चेयरमैन बी. एन. शर्मा ने एक कार्यक्रम में कहा कि जीएसटी दरों में बदलाव के बाद कंपनियाँ अपने प्रोडक्ट की कीमत कम करने या उसका वजन बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं। ग्राहकों को जीएसटी में कटौती का लाभ दिलाने के लिए एनएए ने कुछ पैमाने तय किए हैं। इनमें टैक्स में कमी के अनुपात में प्रोडक्ट का वजन बढ़ाना, लाभ दिए जाने की समयसीमा और कंपनी द्वारा अतिरिक्त लाभ दिया जाना शामिल हैं। एनएए चेयरमैन ने मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक कार्यक्रम में कहा कि छोटे सेशे वाले प्रोडक्ट में ग्राहकों को जीएसटी का लाभ देना कई बार व्यावहारिक नहीं होता।

वित्त मंत्रालय ने वजन बढ़ाने पर रोक की बात कही थी : कुछ दिन पहले वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि जीएसटी घटने पर सरकार प्रोडक्ट की पैकेजिंग बदलने या उसका वजन बढ़ाने पर रोक लगा सकती है। अभी कंपनियाँ दाम कम करने के बजाय पैकेट का वजन बढ़ा देती हैं। एनएए चेयरमैन की बात इसके ठीक उलट है। (साभार : दैनिक भास्कार, 16.3.2019)

अब पाँच मानकों पर होगी हॉलमार्किंग

मंत्रालय ने जारी किया ड्राफ्ट ऑडर, जल्द जारी होगी अधिसूचना

सोने के गहनों की शुद्धता की हॉलमार्किंग अब पाँच मानकों पर होगी। वर्तमान में 14, 18 और 22 कैरेट पर हॉलमार्किंग का प्रावधान है, लेकिन अब इसमें दो अन्य मानकों 20 और 24 कैरेट को भी शामिल किया जायेगा। भारतीय मानक ब्यूरो के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 20-24 कैरेट के सोने के गहनों को हॉलमार्किंग में शामिल किये जाने का ड्राफ्ट ऑर्डर उपभोक्ता मंत्रालय ने जारी किया है। शीघ्र ही इस संबंध में अधिसूचना जारी की जायेगी।

व्यवसायियों से मांगी जायेगी दावा-आपत्ति : अधिकारियों के मुताबिक गहनों की हॉलमार्किंग की अनिवार्यता को लेकर भी प्रयास हो रहे हैं। इससे संबंधित ड्राफ्ट जल्द ही प्रकाशित कर स्वर्ण व्यवसायियों से दावा-आपत्ति मांगी जायेगी। वहीं, 20 और 24 कैरेट के सोने के गहने को हॉलमार्किंग की श्रेणी में रखे जाने पर सर्राफा कारोबारियों ने स्वागत किया है। कारोबारियों के अनुसार 22 कैरेट के गहने में यह वजन में हल्के होने के साथ बिक्री में अधिक है। इस मामले में पटना स्थित भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमुख एम. के. प्रमाणिक ने बताया कि जब तब नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता है, तब तक इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता है।

"आने वाले दिनों में ग्राहक अपने बजट के अनुसार सोने के शुद्ध गहने खरीद सकेंगे। हालाँकि बिहार में 18 और 22 कैरेट का ही अधिक प्रचलन है। जबकि कुछ राज्यों में 20 और 23 कैरेट का चलन है। नये प्रावधान से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। साथ ही कारोबारियों को नये ग्राहक भी मिलेंगे।"

– विनोद कुमार, अध्यक्ष, पाटलिपुत्र सर्राफा संघ

(साभार : प्रभात खबर, 16.3.2019)

घर बनाने में आयेगी तेजी 20 दिनों में नक्शा पास

अब ऑथोरिटी से बात करने की जरूरत नहीं

छोटे-बड़े मकानों का नक्शा पारित करना बड़ी समस्या थी। यह समस्या सिर्फ पटना नगर निगम की नहीं, बल्कि पूरे देश के निगमों में है। अब नक्शा पारित करने की प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटलाइजेशन करने को लेकर ऑटो-मैन नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से ऑटोमेटिक नक्शा स्वीकृत किया जायेगा। ऑटो-मैन को लेकर आयोजित कार्यशाला में उपस्थित वास्तुविदों, टाउन प्लानरों व बिल्डरों को संबोधित करते हुए नगर आयुक्त अनुपम कुमार सुमन ने कहा कि अब नक्शा पारित करवाने वाले आवेदकों को ऑथोरिटी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटो-मैन के जरिये रियल इस्टेट पर नियंत्रण करना नहीं है, बल्कि नियोजित तरीके से शहर को विकसित करना है। सॉफ्टवेयर में मास्टर प्लान व बिल्डिंग बायलॉज के डाटा फीड किया गया है, जो जमा किये प्लान को रीड करेगा और नक्शे की स्वीकृति देगा। 20 कार्य दिवस में छोटी-बड़ी सभी बिल्डिंगों के लिए नक्शा स्वीकृत की जायेगी।

सिंगल विंडो कर रहे हैं विकसित : बहुमंजिल इमारत का नक्शा पारित कराने से पहले अग्निशमन व एयरपोर्ट ऑथोरिटी से एनओसी लेना अनिवार्य है। नगर आयुक्त ने बताया कि इसको लेकर सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया जा रहा हैं, ताकि रियल इस्टेट से जुड़े लोगों को नक्शा पारित करने में ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़े नक्शा पारित कराने को लेकर निर्धारित

शुल्क भी ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था की गयी है। नगर आयुक्त ने वास्तुविदों व बिल्डरों से अपील करते हुए कहा कि सॉफ्टवेयर में कहीं कोई कमी दिखे, तो सुझाव दें। ऑटो-मैप की बारीकियों को बताते हुए कहा कि व्यक्तिगत व वास्तुविद सभी को रजिस्ट्रेशन कराने के साथ-साथ यूजर आइडी व पासवर्ड बनाना होगा। इसके बाद ही यूजर व्यक्तिगत व बहुमंजिली इमारत को लेकर तैयार प्लान की डिटेल्स और लैंड मार्क फीड करेंगे।

(साभार : प्रभात खबर, 15.3.2019)

रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में खुलासा : बिहार के पैसे का दूसरे राज्यों में निवेश कर रहे बैंक

जमाराशि 38 गुनी बढ़ी, पर लोन का अनुपात 4.6 प्रतिशत घटा

बैंक बिहार में लोगों से पैसे जमा कराने में काफी सक्रिय है, लेकिन काम-धंधे के लिए उन्हें कर्ज देने में अब भी सुस्त हैं। पिछले 28 साल के दौरान राज्य में राष्ट्रीकृत बैंकों की शाखाएँ 2003 बढ़ गयीं और जमाराशि में भी करीब 38 गुनी बढ़ोतरी दर्ज की गयी, लेकिन साख-जमा अनुपात 4.60% घट गया। हालाँकि, 2000 की तुलना में 9.7% और 2010 की तुलना में 6.6% साख-जमा अनुपात बढ़ा है। लेकिन अब भी यह जमाराशि की तुलना काफी कम है। यह खुलासा पिछले दिनों रिजर्व बैंक द्वारा जारी वित्तीय साँख्यिकी रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, 1990 में बिहार में बैंकों की 4708 शाखाएँ थीं, जो 2018 में बढ़ कर 6711 शाखाएँ हो गयीं, राज्य के शहरी क्षेत्र की तुलना ग्रामीण क्षेत्र में बैंक शाखाओं का घनत्व बढ़ा है।

वहीं, 1990 में इन बैंक शाखाओं में 83 बिलियिन राशि जमा थी, जो 2018 में बढ़कर 3148 बिलियन हो गयी। लेकिन इस अवधि में साख-जमा अनुपात 36.8% से घट कर 32.2% रह गया। बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में 1993-94 में बेरोजगारी दर 16 थी, जो 2011-12 में बढ़कर 32 हो गयी है, जबकि शहरी बेरोजगारी दर 71 से घटकर 56 हो गयी है। इससे स्पष्ट होता है कि बैंकों की ग्रामीण शाखाओं में जमाराशि का निवेश ग्रामीण अंचलों के बजाय शहरी क्षेत्र के विकास में हो रहा है। वहीं, बिहार की जमाराशि का इस्तेमाल दूसरे राज्यों में बैंक निवेश कर रहे हैं।

बिहार 28वें नंबर पर : साख-जमा अनुपात के मामले में बिहार देश में 28वें नंबर पर है, जबकि हाल ही में गठित राज्य तेलंगाना 107.7% साख-जमा अनुपात के साथ चौथे नंबर पर है। तमिलनाडु 113.5% साख-जमा अनुपात के साथ प्रथम स्थान पर है, जबकि आंध्र प्रदेश दूसरे और चंडीगढ़ तीसरे स्थान पर है। इससे स्पष्ट होता है कि बिहार के बैंकों में जमा संसाधन का उपयोग अन्य प्रदेशों के विकास में हो रहा है और निवेश के मामले में बिहार का खस्ता हाल है।

बिहार 28वें नंबर पर, तमिलनाडु पहले, आंध्र प्रदेश दूसरे, चंडीगढ़ तीसरे व तेलंगाना चौथे पायदान पर

बिहार में राष्ट्रीकृत बैंक

शाखाएँ	जमा राशि	सीडी रेशियो
1990-4708	1990-83 बिलियन	1990-36.80%
2000-5058	2000-374 बिलियन	2000-22.50%
2010-4142	2010-1064 बिलियन	2010-26.80%
2018-6711	2018-3148 बिलियन	2018-32.20%

"सूबे में बैंकों की प्राथमिकता सिर्फ जमा लेने की है। वे लोन नहीं देना चाहते हैं। इससे बिहार का साख-जमा अनुपात गिर रहा है। जरूरी है कि बैंक लोन देने के मामले में उदार नीति अपनाकर सूबे के विकास में योगदान करें।"

– पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

"बैंक कृषि की अपेक्षा उद्योगों के लिए ज्यादा लोन देते हैं। बिहार में उद्योगों की कमी है। इसलिए यहाँ साख-जमा अनुपात कम है। ऋण वसूली की भी स्थिति अच्छी नहीं होने से एनपीए बढ़ रहा है, जिससे बैंकर्स लोन देने में हिचक रहे हैं।"

– डी एन त्रिवेदी, अध्यक्ष, एआइबीआरएफ

(साभार : प्रभात खबर, 12.3.2019)

स्टेट बैंक घर बैठे बैंकिंग सेवा देगा

देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने ग्राहकों को घर बैठे बैंकिंग सुविधा देना शुरू किया है।

इसके तहत 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग और दृष्टिहीन ग्राहकों को घर बैठे नकदी जमा और निकासी की सुविधा दी जाएगी। बैंक ने को यह जानकारी दी। इसके साथ ही बैंक चेक पिकअप, स्लिप, लाइफ सर्टिफिकेट और फॉर्म 15 एच पिक अप की सुविधा भी देगा। हालाँकि, इस सेवा का लाभ लेने के लिए बैंक को एक तय शुल्क का भुगतान करना होगा।

आरबीआई ने दिया था निर्देश : भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के सभी बैंकों को वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग और दृष्टिहीन लोगों को बैंकिंग सेवा में सहूलियत देने का निर्देश दिया था। बैंक की यह सेवा उसी के अनुरूप है। एसबीआई ने कहा है कि जिन ग्राहकों की केवाईसी पूरी है उन्हें ही ये सुविधा मिलेगी। साथ ही बैंक के पास उपभोक्ता का मोबाइल रजिस्टर्ड होना जरूरी होगा। यह सुविधा होम ब्रांच के 5 किलोमीटर के दायरे में मिलेगी। घर बैठे सेवा का लाभ के लिए ग्राहकों को होम ब्रांच में जाकर पंजीकरण करना होगा। ग्राहकों को प्रत्येक वित्तीय लेन-देन करने पर 100 रुपए और गैर वित्तीय लेन-देन करने पर 60 रुपए फीस देनी होगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 13.3.2019)

एसबीआई ने लोन और जमा पर ब्याज को रेपो रेट से जोड़ा, नई व्यवस्था मई से लागू होगी

होम और ऑटो लोन जैसे लंबी अवधि के कर्ज इसके दायरे में नहीं आएँगे

देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने लोन और जमा राशि पर ब्याज दरों को रेपो रेट से जोड़ने की घोषणा की है। इससे रेपो रेट में बदलाव का ग्राहकों पर तत्काल असर होगा। रेपो रेट बढ़ने पर जमा और कर्ज पर भी ब्याज दर बढ़ जाएगी। रेपो घटने पर इनमें भी कमी आएगी। छोटी जमा और कर्ज वालों को इससे बाहर रखा गया है। जिनके खाते में एक लाख रुपए से अधिक जमा राशि है, वही इसके दायरे में आएँगे। कम अवधि के लिए जारी होने वाले कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट के लिए भी एक लाख रुपए की लिमिट रखी गई है। आमतौर पर यह कारोबारियों के लिए होता है। होम और ऑटो लोन जैसी लंबी अवधि के कर्ज इसके दायरे में नहीं जाएँगे। यह व्यवस्था 1 मई 2019 से लागू होगी। रेपो रेट रिजर्व बैंक तय करता है। वह कई बार इस बात के लिए नाराजगी जता चुका है कि रेपो रेट घटने पर बैंक कर्ज पर ब्याज या तो नहीं घटाते हैं या इसमें देरी करते हैं। इसीलिए आरबीआई ने बैंकों से ब्याज दरों को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ने के लिए कहा था। रेपो रेट भी एक बाहरी बेंचमार्क है।

पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने बैंकों को अप्रैल 2019 से बाहरी बेंचमार्क की व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया था। लेकिन नए गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह समय सीमा हटा दी। बैंक के एमडी पी. के. गुप्ता ने बताया कि बैंक के 33% खातों में एक लाख रुपए से ज्यादा जमा राशि है। अभी बैंक बचत खाते में एक करोड़ रुपए तक की जमा पर 3.5% और एक करोड़ से ज्यादा की जमा पर 4% ब्याज देता है। उन्होंने बताया कि रेपो रेट 0.25% घटने पर एमसीएलआर 0.07-0.08% कम हो सकता है। अभी एक साल का एमसीएलआर 8.55% है।

(साभार : दैनिक भास्कार, 9.3.2019)

40 लाख रुपए टर्नओवर वालों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं

छोटे-मझोले कारोबारियों को राहत देते हुए सरकार ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की सीमा बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यह 1 अप्रैल से लागू होगा। सालाना 40 लाख रुपए से अधिक टर्नओवर वाले गुड्स कारोबारियों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। अभी यह सीमा 20 लाख रुपए है। कंपोजीशन का विकल्प चुनने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की नई लिमिट भी अप्रैल से लागू होगी। अभी यह 1 करोड़ रुपए है। इन्हें टर्नओवर का 1% टैक्स देना पड़ेगा। गुड्स और सर्विसेज, दोनों का बिजनेस करने वाले कारोबारी का टर्नओवर अगर 50 लाख रुपए तक है, तो वह भी कंपोजीशन में जा सकता है। उसे टर्नओवर पर 6% टैक्स देना पड़ेगा।

गुड्स कारोबारियों के लिए रजिस्ट्रेशन की दो लिमिट होंगी- 20 लाख और 40 लाख रुपए। राज्य जो चाहें विकल्प चुन सकते हैं। सर्विसेज का बिजनेस करने वाले कारोबारियों के लिए लिमिट 20 लाख रुपए ही होगी। पर्वतीय राज्यों के लिए यह 10 लाख रुपए है।

जीएसटी का सालाना रिटर्न 30 जून तक भर सकते हैं : सरकार ने 2017-18 के लिए सालाना जीएसटी रिटर्न भरने की अंतिम तारीख तीन महीने बढ़ाकर 30 जून कर दी है। इसके लिए जीएसटीआर - 9 और जीएसटीआर - 9 ए फॉर्म पोर्टल पर उपलब्ध हैं। करदाताओं से फॉर्म भरने में विशेष सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है, क्योंकि इनमें संशोधन की सुविधा नहीं है। जीएसटीआर - 9 रिटर्न फॉर्म सामान्य श्रेणी के कारोबारियों और जीएसटीआर - 9ए कंपोजीशन वालों के लिए है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 8.3.2019)**

कॉरपोरेट टैक्स दर घटाने का सरकार ने दिया आश्वासन

जीएसटी संग्रह बढ़ने पर सरकार बड़ी कंपनियों के लिए भी कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 फीसद से घटाकर 25 फीसद कर सकती है।

बैठक के बाद फिक्की के अध्यक्ष संदीप सोमानी ने बताया कि वित्त मंत्री से टैक्स, रोजगार सृजन और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि जैसे-जैसे जीएसटी संग्रह बढ़ेगा, आने वाले समय में बड़े कॉरपोरेट के लिए भी कॉरपोरेट टैक्स की दरों को तर्कसंगत बनाया जाएगा। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 6.3.2019)**

जीएसटी में कटौती एडजस्ट करने के लिए दाम घटाना जरूरी होगा

जीएसटी लागू होने के बाद काउंसिल ने बहुत सी वस्तुओं पर टैक्स रेट में कटौती की है। लेकिन ग्राहकों को इसका पूरा फायदा नहीं मिल रहा है। लगातार ऐसी शिकायतें आने के बाद अब सरकार ऐसा फ्रेमवर्क बना रही है जिससे जीएसटी रेट में कटौती का ग्राहकों को पूरा फायदा मिल सके। अभी जीएसटी कानून में इसके लिए कोई तरीका तय नहीं है। कंप्लायंस के नियम नहीं होने के कारण कंपनियाँ टैक्स में कटौती का फायदा ग्राहकों को तत्काल नहीं देती हैं। वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि रेट में कटौती के बाद ग्राहकों को लाभ देने की समय सीमा तय की जा सकती है। स्टॉक का भी ध्यान रखा जाएगा। प्रोडक्ट की पैकेजिंग बदलने और वजन बढ़ाने पर रोक लग सकती है। अभी कंपनियाँ दाम घटाने के बजाय पैकेट का वजन बढ़ा देती हैं। अधिकारी ने कहा कि टैक्स रेट में कटौती के समय जो प्रोडक्ट बाजार में हैं, उनके दाम घटाना काफी हद तक डिस्ट्रीब्यूटरों और रिटेलरों पर निर्भर करता है। यह मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के हाथ में नहीं होता, जबकि इनपुट टैक्स क्रेडिट उन्हें ही मिलता है।

वेलफेयर फंड में पैसे जमा करने का है नियम : जीएसटी कानून की धारा 171 के मुताबिक अतिरिक्त मुनाफे का पैसा ग्राहकों को वापस किया जाना चाहिए। जहाँ यह संभव न हो, कंपनी कंज्यूमर वेलफेयर फंड में पैसे जमा कराएगी। लेकिन इसमे यह नहीं बताया गया है कि अतिरिक्त मुनाफे की गणना कैसे की जाए। **(साभार : दैनिक भास्कर, 8.3.2019)**

स्टार्टअप में 25 करोड़ तक के निवेश पर टैक्स में छूट

आयकर विभाग ने स्टार्टअप्स के लिए टैक्स के नए नियम नोटिफाई कर दिए हैं। अब इनमें 25 करोड़ रुपए तक के निवेश पर एंजेल टैक्स नहीं लगेगा। यह छूट 10 साल के लिए मिलेगी। वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग प्रमोशन विभाग DPIIT ने 19 फरवरी को नियमों में ढील देने की घोषणा की थी। नोटिफिकेशन भी उसी तारीख से लागू माना जाएगा। अभी तक स्टार्टअप्स में 10 करोड़ रुपए तक के निवेश पर टैक्स नहीं लगता था। कंपनियाँ 7 साल तक इस सुविधा का लाभ ले सकती थीं। आयकर विभाग की शीर्ष बॉडी सीबीडीटी की तरह से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार टैक्स में छूट लेने के लिए स्टार्टअप को पैसे के इस्तेमाल का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। जिन स्टार्टअप्स को नोटिस भेजे गए हैं, सीबीडीटी ने फील्ड अधिकारियों को वे मामले जल्दी निपटाने का निर्देश दिया है। DPIIT ने स्टार्टअप कंपनियों की शिकायतों के बाद नियम में संशोधन का फैसला किया था। इन कंपनियों का कहना था कि आयकर कानून की धारा 56 (2) के तहत उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 8.3.2019)**

ऋण देने में बैंक कर रहे टालमटोल

राज्य सरकार की हिदायतों के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक किसानों को ऋण देने में टालमटोल कर रहे हैं। विभिन्न कागजात में कमी बताकर ऋण देने से इनकार किया जा रहा है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं राज्य सरकार के सभी प्रयास बेकार साबित हो रहे है। यही कारण है कि बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में ऋण देने में 15.54 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह गिरावट वित्तीय वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही में दर्ज की गयी है। यह स्थिति कृषि प्रधान राज्य बिहार के लिए चिंताजनक है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कृषि क्षेत्र में 60 हजार करोड़ ऋण वितरित करने का लक्ष्य है। इसके विरुद्ध दिसम्बर, 2018 तक 28 हजार 304 करोड़ ऋण बैंकों द्वारा वितरित किया गया है। यह लक्ष्य का मात्र 47.17 प्रतिशत है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिसम्बर, 2017 तक कृषि क्षेत्र में बैंकों ने 62.71 फीसदी कर्ज बांटे थे। जरूरी कागजात देने के बावजूद यदि बैंक ऋण देने से मना करें तो किसान इसकी शिकायत कर सकते हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड में भी सुस्ती : किसानों के लिए बहु उपयोगी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी करने में भी बैंक सुस्त हैं। किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार केसीसी नहीं मिल रहा है। दस लाख किसानों को इस वर्ष केसीसी उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसके विरुद्ध जून तक 11.54 फीसदी, सितम्बर तक 13.95 फीसदी एवं दिसम्बर तक 17.77 फीसदी ही केसीसी दिये गए। **(साभार : हिन्दुस्तान, 5.3.2019)**

लोन गारंटर बनने पर घट जाती है आपकी कर्ज लेने की क्षमता

अगर आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त लोन ले रहा है और वह चाहता है कि आप उसके लोन का गारंटर बने तो जरा संभलकर निर्णय लें।

बैंकों के डूबते कर्ज को देखते हुए रिजर्व बैंक ने गारंटर बनने के नियम सख्त किए हैं। गारंटर का मतलब सिर्फ एक कागज पर दस्तखत करना नहीं है। इससे आपकी लोन लेने की व्यक्तिगत क्षमता कम हो जाती है। वहीं कर्जदार कर्ज नहीं चुका पाता है तो बैंक आपसे कर्ज वसूली भी कर सकते हैं।

गारंटर बनने से पहले ये पहले जानें : अगर आप गारंटर बन रहें तो यह पहले पता करें कि बैंक आपको किस तरह का गारंटर बना रहा है। बैंक दो तरह के गारंटर बनाते हैं, गैर- वित्तीय गारंटर और वित्तीय गारंटर। एक गैर-वित्तीय गारंटर लोन चुकाने में देरी होने पर बैंक और कर्जदाता को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। दूसरी तरफ, एक वित्तीय गारंटर को, उधारकर्ता द्वारा लोन नहीं चुकाने की स्थिति में उस लोन को चुकाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है।

लोन गारंटर का मतलब है कि बैंक को कर्ज लेने वाले पर पूरा भरोसा नहीं है कि वो कर्ज लौटा पाएगा। बैंक अपने लोन को सुरक्षित करने के लिए गारंटर मागता है। ये गारंटी अचल संपत्ति के रूप में या किसी व्यक्ति के रूप में हो सकता है।

आपका क्रेडिट स्कोर भी हो सकता है खराब : अगर आप किसी लोन का वित्तीय गारंटर हैं और लोन लेने वाले व्यक्ति ने कर्ज नहीं चुकाया है तो आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है। बैंक के एक अधिकारी के मुताबिक, सिबिल केवल कर्जदारों की सूचनाएँ ही नहीं जुटाता है बल्कि गारंटी देने वालों का रिकॉर्ड भी रखता है। सिबिल रिपोर्ट में न केवल व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड और लोन के खातों का विवरण होता है बल्कि उस लोन का भी विवरण होता है। जिसकी उसने गारंटी दी है। यानी लोन डिफॉल्ट होने पर गारंटर का क्रेडिर स्कोर खराब होना तय है।

सेबी ने की कंपनी कानून में बदलाव करने की मांग

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सरकार से कंपनी कानून में संशोधन करने को कहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उसके द्वारा अगर किसी निदेशक को अयोग्य करार दिया जाता है तो वह तत्काल पद से हटे।

कर्ज नहीं लौटाने वाले विजय माल्या के ऐसा नहीं करने को देखते हुए

सेबी ने सरकार से यह अपील की है। कंपनी कानून के तहत किसी अदालत या न्यायाधिकरण के आदेश से संबंधित निदेशक पद पर बैठा व्यक्ति अयोग्य हो जाता है और उसे पद से हटना पड़ता है। लेकिन सेबी के बारे में स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहा गया है। सेबी ने एक प्रस्ताव में कहा है कि कंपनी कानून में यह स्पष्ट रूप से जिक्र होना चाहिए कि अगर उसके आदेश में संबंधित व्यक्ति अयोग्य करार दिया जाता है तो उसे तत्काल निदेशक पद छोड़ देना चाहिए।

(साभार : हिन्दुस्तान, 5.3.2019)

बैंकिंग निदेशालय बनने का रास्ता साफ

बिहार में बैंकों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए निदेशालय स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने एक प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। यह प्रस्ताव जल्द ही अब राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। राज्य में कर्ज देने में बैंकों की आनाकानी और दूसरी दिक्कतों पर नजर रखने के लिए यह निदेशालय गठित करने का निर्णय लिया गया। यह कर्ज-जमा अनुपात (सीडी रेशियो) और दूसरे वित्तीय मानकों पर नजर रखेगा।

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कर्ज आवंटन पर भी निदेशालय निगरानी रखेगा। किसी क्षेत्र में बैंक का कार्य संतोषजनक नहीं रहने पर अधिकारी उस बैंक से सुधार करने के लिए कहेंगे। कमजोर सीडी रेशियो वाले जिलों में कर्ज आवंटन बढ़ाने के लिए निदेशालय के अधिकारी बैंकों के साथ मिलकर काम करेंगे हालांकि, बार-बार शिकायत के बाद भी अगर बैंक सुधार नहीं करते हैं, तो सजा के रूप में निदेशालय बैंकों से सरकारी धन निकाल सकता है।

(विस्तृत : बिजनेस स्टैंडर्ड, 2.3.2019)

बैंक न सुने तो ग्राहक लोकपाल से करें शिकायत

बैंक में ग्राहकों को अक्सर म्युचुअच फंड या बीमा बेचने वाले कर्मी या एजेंट घेर लेते हैं। कई बार बैंकों में कई प्रापर्टी कंपनियों के पोस्टर-बैनर भी लगे होते हैं, जिन्हें आसान बैंक लोन की स्कीम के साथ पेश किया जाता है। बैंक का भरोसा कर ग्राहक इन उत्पादों की बिक्री कर लेते हैं। लेकिन जब इन स्कीमों में भ्रामक या गलत जानकारी को लेकर कोई समस्या आती है तो बैंक अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसे में समस्या आने पर ग्राहक को दर-दर भटकना पड़ता है।

आरबीआई ने बैंकिंग लोकपाल को दिए अधिकार : आरबीआई ने कहा है कि किसी बैंक में थर्ड पार्टी के उत्पादों जैसे इंश्योरेंस या म्युचुअल फंड की बिक्री को लेकर कोई खामी पाई जाती है तो यह मामला बैंकिंग लोकपाल के दायरे में आएगा। बैंकिंग लोकपाल 2006 में बदलाव लाते हुए आरबीआई ने कहा कि बैंक की ओर से बीमा, म्युचुअल फंड या कोई अन्य थर्ड पार्टी उत्पाद बेचा जाता है तो शिकायतों को लेकर जवाबदेही उसी की होगी।

20 लाख रुपये तक के मामले में आदेश दे सकता है बैंकिंग लोकपाल

इन केस में शिकायत : • बीमा, म्युचुअल फंड आदि पर भारी रिटर्न का दावा कर बिक्री करना • उत्पादों को लेकर जानकारी छिपाने या गलत तथ्य पेश करना • शिकायत निपटारे के तंत्र का खुलासा नहीं करना • बैंक से बिक्री के बाद सेवा या सुविधाएं देने से इनकार

मुआवजा पाने का हक : बैंकिंग लोकपाल ऐसी शिकायतों को सुन सकता है। ग्राहकों के समय और धन की बर्बादी, मानसिक उत्पीड़न आदि को लेकर वह आरोपी बैंक को एक लाख रुपये तक के मुआवजे का निर्देश दे सकता है। बैंकिंग लोकपाल 20 लाख रुपये तक के मामले को सुन सकता है।

बैंकिंग लोकपाल में खुद रख सकते हैं बात : पीड़ित बैंकिंग लोकपाल के समक्ष खुद अपनी बात रख सकते हैं या कोई अधिकृत प्रतिनिधि भेज सकता है। हालांकि अगर मामला कोर्ट में है तो लोकपाल ऐसी शिकायतों पर सुनवाई से इनकार कर सकता है। शिकायत में देरी करना भी इनकार की वजह हो सकती है। शिकायत का फॉर्म और पता यहाँ से (https://www.rbi.org.in/Upload/Publications/PDFs/BOL.pdf) से डाउनलोड कर सकते हैं।

शिकायत की यह है प्रक्रिया : पैसाबाजार के सीईओ नवीन कुकरेजा ने कहा कि पीड़ित ने बैंक को पहले ही शिकायत कर रखी है और उस पर कोई जवाब 30 दिन में नहीं मिला है, तब बैंकिंग लोकपाल से शिकायत हो सकती है। बैंक के जवाब से संतुष्ट न होने या शिकायत खारिज होने पर भी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत उसी बैंक शाखा के क्षेत्राधिकार वाले लोकपाल में करनी चाहिए।

(साभार : हिन्दुस्तान, 2.3.2019)

जरूरी नंबर

पुलिस कंट्रोल रूम	100
एंबुलेंस	102,108
जिला नियंत्रण कक्ष	0612-22019810
जिज्ञासा (सामान्य सूचना के लिए)	0612-2233333
सीएम लोक शिकायत केन्द्र	0612-2205800
विजिलेंस	1800110180
पीएमसीएच कंट्रोल रूम	0612-2300080
आईजीआईएमएस कार्डियक एंबुलेंस	854413242
फायर ब्रिगेड	101, 0612-2222223
चाइल्ड हेल्पलाइन	1098
महिला हेल्पलाइन	181
महिला थाना	9470001390
बुजुर्ग पेंशन हेल्पलाइन	18003456262
नगर निगम हेल्पलाइन	18003456644
नगर निगम कांबेट सेल वाट्सएप नंबर	9472223909
पेसू हेल्पलाइन	0612-2285032
पेसू कंट्रोल रूम	0612-22280506, 22280507, 22280508
आरपीएफ हेल्पलाइन	182
जीआरपी हेल्पलाइन	1912
पासपोर्ट सेवा	18002581800
किसान कॉल सेंटर	1551,18001801551
आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम	0612-2217305

(साभार : हिन्दुस्तान, 24.3.2019)

बैंक खाते से पैन जोड़े बिना आयकर रिफंड नहीं मिलेगा

अगर आपने अपने बैंक खाते से पैन को लिंक नहीं किया है तो आपको आयकर रिफंड नहीं मिलेगा। दरअसल, आयकर विभाग एक मार्च (शुक्रवार) से सिर्फ ऑनलाइन रिफंड जारी करने का निर्णय किया है। यह रिफंड सीधे करदाताओं के बैंक खातों में भेजा जाएगा और इसके लिए करदाताओं को अपने बैंक खाते को पैन से जोड़ना (लिंक) जरूरी होगा। इससे 24 घंटे में रिफंड का लक्ष्य भी पूरा हो सकेगा। आयकर विभाग ने कहा है कि आपका बैंक खाता आयकर विभाग की वेबसाइट पर पहले से सत्यापित होना भी जरूरी है। अगर नहीं है तो आप आयकर रिटर्न भरने से पहले उसको सत्यापित करा सकते हैं। आयकर विभाग के जरिए यह काम आसानी से कर सकते हैं। खाता पैन से जोड़ने के लिए बैंक से सम्पर्क साधें।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 1.3.2019)

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
RAMCHANDRA PRASAD
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2677256